विरेंद्र उर्फ बुद्धु और अन्य

बनाम

(आपराधिक अपील संख्या 509/2006)

दिनांक 17 अक्टूबर, 2008)

(डाॅ. अरिजीत पसायत और डाॅ. मुकुंदकम शर्मा , जे.जे.)

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 302 के साथ धारा 34 व धारा 307

हमला और हत्या- मृतक की पत्नी व उसकी बेटी की संदिग्ध गवाही, चश्मदीद गवाह, विचारण न्यायालय ने सभी को दोषमुक्त किया- अपीलार्थियों द्वारा जिस पी.डब्ल्यू.01 व पी.डब्ल्यू.02 के साक्ष्य को आधार बनाया उसे उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया, परंतु अभियुक्त नं. 03 को दोषमुक्त की जाने की पुष्टि की-जिसकी शुद्धता-निर्धारित कियाः उच्च न्यायालय ने सही रूप से इस बात पर गौर किया कि पी.डब्ल्यू.02 दस साल की ग्रामीण परिवेश की लड़की थी जो न्यायालय के माहौल और घबराहट के कारण शायद वह भ्रमित हो गई होगी और इसलिए, जिरह में कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकी-यदि अन्यथा उसके बयान विश्वसनीय और भरोसेमंद पाये जाते है तो केवल इस साक्ष्य के आधार पर अस्वीकारा नहीं जा सकता है-क्योंकि पी.डब्ल्यू.01 की गवाही की पुष्टि पी.डब्ल्यू.02

की गवाही से होती है, इसलिए उसके साक्ष्य को स्वीकार किया जा सकता था- पी.डब्ल्यू.च01 व पी.डब्ल्यू.02 स्वाभाविक गवाह है और जिनकी उपस्थिति घटनास्थल पर मृतक के साथ संदेहपूर्वक नहीं हो सकती थी-गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है-प्रत्यक्ष गवाहों द्वारा मृतक की हत्या का समय व तारीख जो एफआईआर में बताया है उसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है अतः अभियुक्त का अपराध बनना पाया जाता है। विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया गया-भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 118-गवाह की साक्ष्य देने की क्षमता के विषय में-प्रत्यक्षदर्शी/प्राकृतिक गवाहों-के साक्ष्य के विषय में।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दुर्भाग्यपूर्ण दिन, परिवादी पी.डब्ल्यू.01 अपने पति के साथ व बेटी पी.डब्ल्यू.02, ''पूर्णमासी'' के अवसर पर गंगा नदी में पवित्र डूबकी लगाने गए थे। वे जब अपने खेत के यहां से लौट रहे थे, तीन अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक को पकड लिया व देशी पिस्तौल से गोली चला दी व भाग गये। मृतक नीचे गिर गया व मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पत्नी द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई। अनुसंधान पूर्ण होने के बाद पुलिस ने अभियुक्तगणों के विरुद्ध मृतक की हत्या कारित करने का आरोप पत्र पेश किया। विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तगणों के खिलाफ लगाये गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने

साक्ष्य की पुनः विवेचना करते हुए यह पाया कि वर्तमान अपीलार्थियों के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दोषमुक्त का निर्णय अनुचित था। हालांकि अभियुक्त नंबर 03 को दोषमुक्त रखने का आदेश बरकरार रखा। अतः अपील पेश की गयी।

अपीलार्थियों की ओर से, यह तर्क दिया गया कि प्रत्यक्ष साक्ष्य व चिकित्सीय साक्ष्य के मध्य भिन्नता इतनी महत्वपूर्ण है कि कोई भी न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं कर सकता है और उनको वैसे ही दोषमुक्त किया जाना चाहिए जैसे तीसरे नंबर अभियुक्त को किया गया। जब शव परीक्षण किया गया था, मृतक की पोस्टमार्टम जांच स्पष्ट रूप से साबित व स्थापित करती है कि मृतक के पेट में अर्द्धपच भोजन था, जो स्पष्ट रूप से अभियोजन के मामले को झूठलता है कि मृतक की मृत्यु सुबह हो गई थी, जबकि पी.डब्ल्यू.01 मृतक की पत्नी ने स्वयं कहा था कि मृतक ने उस दुर्भाग्य दिन की सुबह खाना नहीं खाया था और उसने कल शाम के 6-7 बजे खाना खाया था। शव परीक्षण के दौरान यह रिपोर्ट कि मृतक के पेट में अर्द्धपच भोजन था इस तथ्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मृतक की हत्या दिनांक 04.10.1979 को रात के करीब 10 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई थी और इस बात को दिखाने के लिए कि मृतक की हत्या जब वह दिनांक 05.10.1979 को सुबह पूर्णमासी के दिन गंगा नदी में अपनी बेटी व पत्नी के साथ पवित्र डूबकी लगाने गया था

और वापस लौट रहा था तब हुई थी। यहकि पी.डब्ल्यू.01 व पी.डब्ल्यू.02 के बयान में घटना के स्थान को लेकर विरोधाभास है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह निर्णित किया -

अभिनिर्धारित 1.1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, किसी विशेष आयु को एक निर्धारक, कारक के रूप में निर्धारित नहीं करता है कि कौनसा गवाह को सक्षम गवाह माना जावे। इसके विपरीत साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 में यह परिकल्पना की है कि सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे, जबतक की न्यायालय का यह विचार न हो कि उनसे किए गए प्रश्नों को समझने या उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उतर देने से निवारित है।

1.2 कम उम्र के बच्चों को गवाही देने की अनुमति दी जा सकती है यदि उनसे पूछे गए प्रश्नों को समझने की बौद्धिक क्षमता व उन पर विचार कर तर्कसंगत जवाब देने की योग्यता रखते हैं। केवल बाल गवाह के साक्ष्य होने की वजह से उसे अस्वीकार नहीं कर देना चाहिए परंतु न्यायालय को विवेक के नियम के रूप में ऐसे साक्ष्य को गहनता से जांच के साथ उसकी गुणवत्ता व विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त होने पर ही उसके आधार पर दोषसिद्धी कर सकता है।

दत्तु रामराव सखारे बनाम महाराष्ट्र राज्यऔर रतन सिंह दलसुखबाई

नायक बनाम गुजरात राज्य पर पर निर्भर किया गया।

1.3 वर्तमान मामले में, पी.डब्ल्यू.02 के बयान के अवलोकन से यह दर्शाता है कि उसे दिशा, दूरी, क्षेत्र आदि का कोई अंदाजा नहीं था व उससे पूछे गए कुछ प्रश्नों पर वो चुप रही जैसे कि उसके पिता के खेत का क्षेत्रफल क्या था या किसके खेत उसके पिता के खेत के आसपास स्थित थे। उच्च न्यायालय ने यह ध्यान दिया कि 14 वर्ष की लड़की से इन सवालों के जवाब देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके अलावा 14 वर्ष की ग्रामीण परिवेश की लड़की जो संभावित रूप से न्यायालय के माहौल और घबराहट के कारण शायद वह भ्रमित हो गई होगी और इसलिए, जिरह में पूछे गए कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकी। पी.डब्ल्यू.02 अभियुक्त व्यक्तियों में से एक का वास्तविक नाम यह कहते हुए नहीं बता सकती कि उसके दिमाग से फिसल गया था। विचारण न्यायालय ने उसकी गवाही पर अविश्वास करते हुए कहा कि वह अभियुक्त व्यक्ति में से एक का वास्तविक नाम नहीं बता सकती थी। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पी.डब्ल्यू.02 कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकी इस आधार पर उसके साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता यदि अन्यथा उसकी साक्ष्य विश्वसनीय व भरोसेमंद है। साक्ष्य के अवलोकन पर, पी.डब्ल्यू.01 की गवाही की पुष्टि सभी तात्विक बिंदुओं पर पी.डब्ल्यू.02 की गवाही से होती है। इस न्यायालय के मत में गवाह से प्रतिपरीक्षा के दौरान पूछे गए

प्रश्नों का तत्पराता से उत्तर देना, स्वीकार किया जा सकता है भले ही उसकी वक्तघटना आयु चैदह वर्ष की थी। यद्यपि यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि दोषसिद्धी पी.डब्ल्यू.02 की एकमात्र गवाही के आधार पर होना चाहिए।

1.4 एफ.आई.आर. में इस तथ्य का उल्लेख था कि पी.डब्ल्यू.02 भी पी.डब्ल्यू.01 के अतिरिक्त चश्मदीद गवाह थी और पी.डब्ल्यू.02, पी.डब्ल्यू.01 व मृतक के साथ घटना वाले दिन थी। अभियोजन पक्ष द्वारा पी.डब्ल्यू.02 की गवाही केवल इस हद तक उपयोग में लिया है जहां तक वह पी.डब्ल्यू.01 के साक्ष्य की पुष्टि करता है और चिकित्सीय साक्ष्य के अनुरूप है।

2. हस्तगत मामले में शरीर मे अकड़न (रिगर मोर्टिस) नीचले अंग में मौजूद थी जब मृतक के शरीर का शव परीक्षण मृत्यु के तीस घंटे के बाद हुआ था। प्रत्यक्ष साक्षी के अनुसार मृतक की हत्या दिनांक 05.10.1979 को करीब सुबह 10 बजे हुई थी व डाॅक्टर द्वारा मृत शरीर का शव परीक्षण मृत्यु के अगले दिन शाम के साढ़े चार बजे आसपास किया था। परंतु शरीर में अकड़न (रिगर मोर्टिस) केवल नीचले अंग में ही थी। अगर उसकी मृत्यु दिनांक 04.10.1979 को रात के 10 बजे के आसपास हुयी होती तो मृतक के शरीर में अकड़न (रिगर मोर्टिस) पूरी तरह से चली जाती। इस प्रकार प्रत्यक्ष साक्षी की मृत्यु दिनांक 05.10.1979 को

सुबह 10 बजे के आसपास हुई थी, चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्टि करता है जो यह दर्शाता है कि उस समय शरीर के नीचले भाग में अकड़न थी जब शव का परीक्षण 30 घंटे बाद हुआ था।

मेडिकल न्यायशास्त्र व विष विज्ञान, 1979 का संस्करण पृष्ठ सं. 125 मोदी द्वारा- से उल्लेखित किया गया।

3. दोनों चश्मदीद गवाहों पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है, सिर्फ इस आधार पर कि पी.डब्ल्यू.01 ने अपनी जिरह में यह उल्लेख किया है कि उसके पति ने बीती शाम के बाद खाना नहीं खाया। जिनकी उपस्थिति मृतक की मृत्यु के स्थान पर संदेह से परे है। उक्त दोनों गवाह स्वाभाविक गवाह है जो घटना के समय मौजूद थे और इस बात की संभावना हो सकती है कि मृतक ने सुबह नहाने के बाद कुछ लिया होगा जिसे पी.डब्ल्यू.01 ने ध्यान नहीं दिया होगा। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त स्थिति जो रखी है उसे इंकार नहीं किया जा सकता है।

सरबुल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य पर निर्भर किया गया।

4. अपीलार्थियों के वरिष्ठ वकील द्वारा इस तथ्य का सहारा लिया है कि पी.डब्ल्यू.01 व पी.डब्ल्यू.02 के बयान में इस हद तक विरोधाभास है कि पी.डब्ल्यू.01 ने कहा है कि घटनास्थल के पास खेत में बाजरा और ज्वारा की फसल खड़ी थी जबकि पी.डब्ल्यू.02 ने कहा कि उस समय कोई फसल

नहीं थी सिवाय पटोर के खड़े होने के। उक्त विरोधाभास बिल्कुल भी सुसंगत नहीं है।

केस कानून संदर्भ

(1997) धारा 341	पर भरोसा किया गया	पैरा 8
(2004) 1 सेकंड 64	पर भरोसा किया गया	पैरा 8
(1993) सप्लीमेंट 3 एससीसी 678	पर भरोसा किया गया	पैरा 11

आपराधिक अपीलिय क्षेत्राधिकार: 2006 की आपराधिक अपील संख्या 509 1982 की सरकारी अपील संख्या 1263 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 13.01.2006 का अंतिम निर्णय व आदेश।

सलमान खुर्शिद, इमतिहाज अहमद व नगमा इमतिहाज अपीलार्थी की ओर से(लैक्स एसोसिएट्स की ओर से)

एस.एन. पाण्डे व सी.पी. पाण्डे प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डाॅ. मुकुन्द शर्मा जे के द्वारा पारित किया गया।

1. यह अपील उन दो अभियुक्तों द्वारा दायर की गई है जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (संक्षेप में 'आईपीसी') के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत दोषी

ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

2. मूल रूप से, तीन आरोपी व्यक्ति थे, वीरेंद्र उर्फ बुद्धु, राम आसरे उर्फ तामी और गिरीश चंद्र उर्फ गप्पु और उन पर आईपीसी की धारा 302 के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए थे और गिरीश चंद्र पर आईपीसी की धारा 307 के तहत भी आरोप लगाए गए थे। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य दर्ज करने और दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपियों को आपीसी की धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया और गिरीश चंद्र को आईपीसी की धारा 307 के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी के आदेश से व्यथित होकर यूपी राज्य द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी। उक्त अपील को उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त जो वर्तमान अपील में अपीलार्थी हैं कि दोषमुक्ति इस हद तक स्वीकार कर दोषमुक्ति को अपास्त किया और उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी जबकि तीसरे आरोपी गिरीशचन्द्र को इसी निर्णय व आदेश से उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पुष्टि की गई। उच्च न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर आरोपी व्यक्तियों द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई थी, जिसमें नोटिस जारी किया गया था और जमानत के लिए प्रार्थना को खारिज करने का आदेश भी पारित किया गया था, लेकिन

अपील के शीघ्र निपटान के निर्देश के साथ उक्त आदेश के अनुसरण में, वर्तमान अपील सुनवाई और निपटाने के लिए हमारे सामने सूचीबद्ध की गई थी और हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना। इस अपील में, पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने हमारे सामने मौजूद अपने तर्कों के समर्थन में रिकॉर्ड पर मौजूद सभी साक्ष्यों से हमें अवगत कराया है।

3. पक्षों की ओर से उपस्थित वकील द्वारा हमारे समक्ष दी गई दलीलों का विश्लेषण करने से पहले जिस आधार पर दोनों आरोपी व्यक्तियों द्वारा वर्तमांन अपील दायर की है उसकी तथ्यात्मक स्थिति निर्धारित करना आवश्यक होगा।

दिनांक 05.10.1979 को लगभग शाम के 4.45 बजे श्रीमति सरला देवी पत्नी रामेश्वर दयाल (जिसे "मृतक" से संबोधित किया जावेगा) ने पुलिस स्टेशन शमशाबाद, जिला फर्रुखाबाद में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमे आरोप लगाया गया कि प्यारे लाल, जो रिश्ते में उनके दादाजी लगते थे, ने उनकी संपत्ति का विक्रय पत्र उसके बेटे प्रदीप कुमार के पक्ष में निष्पादित किया था। लेकिन बाद में हेत राम और सहदेव को उसी संपत्ति के संबंध में वसीयतनामा मिल गया, जिसे कथित तौर पर उनके मामा प्यारे लाल ने उनके पक्ष में निष्पादित किया था। इसलिए जमीन के उसी टुकड़े को लेकर एक तरफ उसके मृत पति और दूसरी तरफ

हेत राम और सहदेव के बीच मुकदमा चल रहा था, घटना से तीन महीने पहले सहदेव की हत्या कर दी गई थी और उक्त हत्या के सिलसिले में उसके बेटे प्रदीप कुमार, भाई जयदेव और राकेश को झूठा आरोपी बनाया गया था और प्रदीप अपने मृत पिता की हत्या के समय भी जेल में था। यह भी आरोप लगाया गया कि एक तरफ मृतक और दूसरी तरफ हेत राम के बीच आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में सीआरपीसी) की धारा 107 और 117 के तहत कार्यवाही भी चल रही थी। आगे आरोप लगाया गया कि हेत राम और उसका बेटा वीरेंद्र उर्फ बुद्धू मृतक से दुश्मनी रखतेथे। उस मनहूस दिन यानी 05.10.1979 को सुबह-सुबह मृतक, परिवादी पी.डब्ल्यू.01 सरला देवी और उनकी बेटी कु. गुड्डी पी.डब्ल्यू.02 ‘‘पूर्णमासी’’ के पवित्र अवसर पर गंगा नदी में पवित्र स्नान करने गई थी। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे जब वे अपने खेत में पतवार देखकर रघुबर दयाल के खेत से होते हुए वापस लौट रहे थे और खेत में खडे आम के पेड़ के पास पहुंचे, तभी वीरेंद्र उर्फ बुद्धु अपने चचेरे भाई राम आसरे उर्फ तामी और गिरीशचंद्र उर्फ गप्पू हथियारों से लैस देशी पिस्तौल के साथ पतावर जो छविनाथ थे के मेड़ पर खडे थे उसके पीछे से आये और मृतक के पीछे भागे । राम आसरे चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा था कि मृतक को पकड़ो, उन्हें अपने मामा की हत्या का बदला लेना है। चिल्लाने की आवाज सुनकर मृतक ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की लेकिन वह भाग नहीं सका और वीरेंद्र और गिरीश ने उसे आम के पेड के नीचे पकड़

लिया और वीरेंद्र व राम आसरे ने देशी पिस्तौल से उस पर गोली चला दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रीमति सरला देवी और गुड्डी द्वारा शोर मचाने पर गिरीश ने उन्हें आगे न आने की हिदायत देते हुए फायरिंग की और तीनों आरोपी बायीं ओर भाग गये। सिर और आंख पर गंभीर चोट लगने से मृतक की मौके पर ही मौत हो गई।

इसके बाद कुछ सह-ग्रामीणों के शव के पास पहुंचने पर सरला देवी ने गांव जाकर दीपचंद से रिपोर्ट लिखवाई और फिर गांव से करीब 7 मील की दूरी पर स्थित पुलिस थाना शमशाबाद पहुंची। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया और अपराध की जांच की गई।

जांच के दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गयी, जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। विचारण न्यायालय ने तीनो आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत और आरोपी गिरीश के खिलाफ धारा 307 आईपीसी के तहत आरोप तय किए। आरोपियों का आरोप पढ़कर सुनाए गए और उन्हें हिंदी भाषा में समझाया गया। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और अन्वीक्षा चाही। चूंकि अभियुक्त के विद्वान वकील ने सीआरपीसी की धारा 294 के तहत स्वीकार किया, अभियोजन

पक्ष द्वारा प्रदर्श पी. 02 से प्रदर्श पी.18 रिकॉर्ड किया गया। अभियोजन पक्ष ने श्रीमति सरला देवी पी.डब्ल्यू.01 व कु. गुड्डी देवी पी.डब्ल्यू.02 के अलावा अभियोजन गवाह के रूप में किसी अन्य गवाह को परीक्षित नही किया। जिसे घटना का चश्मदीद गवाह बताया गया है। इसके बाद विद्वान विचारण न्यायालय ने गवाहों के बयान और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की गंभीरता से जांच की और उसकी सराहना करते हुए तीनों आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया।

अपील दायर किए जाने पर उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों और अभिलेखों की पुनः विवेचना के बाद पाया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोषमुक्ति के आधार अनुचित थे और अपने निर्णय में कारण देते हुए रामआसरे, वीरेंद्र के खिलाफ पारित दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त कर दिया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने गिरीशचंद्र के पक्ष में पारित दोषमुक्ति के आदेश को बरकरार रखा। परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील दो आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर की गई है, जिन्हें आईपीसी की धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत आरोप का दोषी ठहराया गया था।

4. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सलमान खुर्शीद ने तर्क दिया कि दोषमुक्ति के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त करना उचित नहीं था, क्योंकि दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करने के लिये जो कारण उच्च न्यायालय ने दिये गये वह

पोषनीय नहीं है। उन्होंने यह तर्क दिया कि प्रत्यक्ष साक्ष्य व चिकित्सीय साक्ष्य के मध्य भिन्नता इतनी महत्वपूर्ण है कि कोई भी न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं कर सकता है और उनको वैसे ही दोषमुक्त किया जाना चाहिए जैसे तीसरे नंबर अभियुक्त को किया गया। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बताते हुए उन्होंने यह कथन किया कि पोस्टमार्टम जांच स्पष्ट रूप से साबित व स्थापित करती है कि मृतक के पेट में अर्द्धपच भोजन था, जो स्पष्ट रूप से अभियोजन के मामले को झूठलता है कि मृतक की मृत्यु सुबह हो गई थी, जबकि पी.डब्ल्यू.01 मृतक की पत्नी ने स्वयं कहा था कि मृतक ने उस दुर्भाग्य दिन की सुबह खाना नहीं खाया था और उसने कल शाम के 6-7 बजे खाना खाया था। शव परीक्षण के दौरान यह रिपोर्ट कि मृतक के पेट में अर्द्धपच भोजन था इस तथ्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मृतक की हत्या दिनांक 04.10.1979 को रात के करीब 10 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई थी और इस बात को दिखाने के लिए कि मृतक की हत्या जब वह दिनांक 05.10.1979 को सुबह पूर्णमासी के दिन गंगा नदी में अपनी बेटी व पत्नी के साथ पवित्र डूबकी लगाने गया था और वापस लौट रहा था तब हुई थी। यहकि पी.डब्ल्यू.01 व पी.डब्ल्यू.02 के बयान में घटना के स्थान को लेकर विरोधाभास है। पी.डब्ल्यू.01 ने कहा है कि घटनास्थल के पास खेत में बाजरा और ज्वारा की फसल खड़ी थी जबकि पी.डब्ल्यू.02 ने कहा कि उस समय कोई फसल नहीं थी सिवाय पटोर के खड़े होने के। वरिष्ठ

वकील के अनुसार उक्त विसंगति महत्वपूर्ण है और स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के मामले को झूठलाती है और इसलिए दोनों आरोपी व्यक्तियों को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्यवान वकील ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गये निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विधि अनुसार गलत है और उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को सही सराहना की है।

6.उक्त तर्कों की सराहना करने के लिए, हमने रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्य को पढ़ा है। पी.डब्ल्यू.01 व पी.डब्ल्यू.02 दोनों चश्मदीद गवाह है। यह घटना उनके सामने तब घटी जब वह गंगा नदी में पवित्र स्नान करके वापस आ रहे थे। पी.डब्ल्यू.01 ने अपने बयान में मृतक की हत्या के कारण के बारे में भी बताया था। उसके अनुसार मृतक व आरोपी व्यक्तियों के बीच लंबे समय से दूश्मनी थी। घटना के कारण में उसने बताया कि पूर्णमासी के दिन सुबह 10.00 बजे जब वह अपने मृत पति और बेटी गुड्डी के साथ गंगा नदी में स्नान करके लौट रही थी, मृतक ने इच्छा व्यक्त की कि उन्हें अपनी फसल देखनी चाहिए और फिर घर जाना चाहिए और जब ये लोग छविनाथ के खेत के पास पहुँचे, तो आरोपी फसलों के पीछे से निकले। उसने यह भी कहा था कि तीनों व्यक्ति देशी पिस्तौल से

लेस थे और उस समय राम आसरे ने अपने मामा की हत्या का बदला लेने केे लिए दूसरों को मृतक को पकडने के लिए उकसाया था। उसने यह भी बताया कि इसकी बाद राम आसरे, विरेंद्र और गिरीशचंद्र ने मृतक को पकड़ लिया। उन्होंने आगे बताया कि राम आसरे ने सबसे पहले मृतक को पकडा और फिर विरेंद्र ने उसे पकड़ लिया और फिर राम आसरे व गिरीशचंद्र ने देशी पिस्तौल से गोली चला दी जो मृतक के सिर पर लगी जिससे मृतक नीचे खेत पर गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी वहां से भागकर पश्चिम दिशा की ओर भाग गये।

उसने यह भी बताया कि सहग्रामीणों के घटनास्थल पर पहुचने के बाद वह घर गई और मृत पति के बहनोई दीपचंद्र से मिली और उसने घटना की रिपोर्ट लिखवाई। इसके बाद वह अपने दामाद प्रेमचंद्र के साथ पुलिस स्टेशन शमशाबाद गई जहां उन्होंने उक्त लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 सौंपी और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 लगभग साढे चार बजे दर्ज करवाई। उसने अपने बयान में यह निश्चित रूप से कहा था कि उसके मृत पति ने बीती शाम लगभग 6-7 बजे अपना अंतिम भोजन किया और सुबह कुछ नहीं खाया।

7. अभियोजन पक्ष ने गुड्डी, पी.डब्ल्यू.02 मृतक की बेटी को भी परीक्षित करवाया। विचारण न्यायालय ने निश्चित रूप से पी.डब्ल्यू.02 गुड्डी के बयान पर अविश्वास किया जिसने घटना वाले दिन अपनी उम्र

करीब 14 या 15 वर्ष बताई। विचारण न्यायालय के अनुसार, वह एक भरोसेमंद और विश्वसनीय गवाह नहीं थी क्योंकि वह "शपथ" शब्द का अर्थ नहीं समझती थी और उसे अपने खेत की दिशा और सीमाओं के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि अपील में उच्च न्यायालय ने उसके बयान पर विचार किया और माना कि विचारण न्यायालय द्वारा उसकी गवाही को पूरी तरह से अस्वीकार करना उचित नहीं था। विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए उससे शपथ नहीं दिलाई कि वह लगभग 12 वर्ष की लगती है और यह भी कहा कि वह शपथ की पवित्रता को नहीं समझती है। उच्च न्यायालय ने माना कि पी.डब्ल्यू.02 को भले ही शपथ के महत्व को समझने की परिपक्वता नहीं हो, लेकिन विचारण न्यायालय को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए अगर वह सच बोलने की लालसा के महत्व को समझती है।

8. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, किसी विशेष आयु को एक निर्धारक, कारक के रूप में निर्धारित नहीं करता है कि कौनसा गवाह को सक्षम गवाह माना जावे। इसके विपरीत साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 में यह परिकल्पना की है कि सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे, जबतक की न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अतिवार्धक्य शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने या उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने से

निवारित है। कम उम्र के बच्चों को गवाही देने की अनुमति दी जा सकती है यदि उनसे पूछे गए प्रश्नों को समझने की बौद्धिक क्षमता व उन पर विचार कर तर्कसंगत जवाब देने की योग्यता रखते हैं। केवल बाल गवाह के साक्ष्य होने की वजह से उसे अस्वीकार नहीं कर देना चाहिए परंतु न्यायालय को विवेक के नियम के रूप में ऐसे साक्ष्य को गहनता से जांच के साथ उसकी गुणवत्ता व विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त होने पर ही उसके आधार पर दोषसिद्धी कर सकता है। दत्तु रामराव सखारे बनाम महाराष्ट्र राज्य में इस प्रकार निर्धारित किया था:

> "बाल गवाह अगर तथ्यों को बता सकता है और वह विश्वसनीय है तो उसके साक्ष्य दोषसिद्धी का आधार बन सकते हंै। दूसरे शब्दों में शपथ के अभाव में भी किसी बाल गवाह के साक्ष्य पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत विचार किया जा सकता है अगर ऐसा गवाह प्रश्नों को समझने में सक्षम हो और उसके तर्कसंगत उत्तर देने में भी सक्षम हो। बाल गवाह का साक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। बाल साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को एकमात्र सावधानी यह ध्यान में रखनी चाहिए कि गवाह विश्वसनीय होना चाहिए और उसकी भावभंगिमा अन्य

सक्षम गवाह के अनुरूप होनी चाहिए और उसे सिखाये जाने की कोई संभावना नहीं है''।

इसके बाद रतनसिंह दलसुख बाई नायक बनाम गुजरात राज्य के मामले में जिसमें हममें से एक (डाॅ. अरजीत पसायत) सदस्य थे, पीठ ने माना कि हालांकि इस सवाल पर निर्णय की क्या बाल गवाह के पास पर्याप्त बुद्धिमत्ता है, मुख्य रूप से विचारण न्यायाधीश पर निर्भर करता है जो उसके शिष्टाचार पर ध्यान देता है उसकी स्पष्ट बुद्धि का होना या उसकी कमी के संबंध में, उक्त न्यायाधीश किसी भी परीक्षा का सहारा ले सकता है जो उसकी क्षमता और बुद्धिमता के साथ-साथ शपथ के दायित्व के बारे में उसकी समझ को प्रकट करेगी। लेकिन विचारण न्यायालय, इस विचारण के निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप इस आधार पर कर सकता है कि रिकाॅर्ड पर जो संरक्षक है उससे यह स्पष्ट है कि उसका निष्कर्ष गलत था। पीठ ने आगे कहाः

''यह सावधानी आवश्यक है कि बाल गवाह आसानी से सिखावे में आ जाते है और अक्सर दिखावटी दुनिया में रहते हैं। हालांकि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि बाल गवाह के बयान कराते वक्त सतर्कता बरतनी चाहिए क्योंकि, वह लचीले होते हैं, और उन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है और ढाला जा सकता है, लेकिन यह भी एक

स्वीकृत मानदंड है कि यदि उनके साक्ष्य को सावधानीपूर्वक जांच के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इसमें सच्चाई का आभास है तो ऐसे बाल गवाह के साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है''।

9. वर्तमान मामले में, पी.डब्ल्यू.02 के बयान के अवलोकन से यह दर्शाता है कि उसे दिशा, दूरी, क्षेत्र आदि का कोई अंदाजा नहीं था व उससे पूछे गए कुछ प्रश्नों पर वो चुप रही जैसे कि उसके पिता के खेत का क्षेत्रफल क्या था या किसके खेत उसके पिता के खेत के आसपास स्थित थे। उच्च न्यायालय ने यह ध्यान दिया कि 14 वर्ष की लड़की से इन सवालों के जवाब देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके अलावा 14 वर्ष की ग्रामीण परिवेश की लड़की जो संभावित रूप से न्यायालय के माहौल और घबराहट के कारण शायद वह भ्रमित हो गई होगी और इसलिए, जिरह में पूछे गए कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकी। पी.डब्ल्यू.02 अभियुक्त व्यक्तियों में से एक का वास्तविक नाम यह कहते हुए नहीं बता सकती कि उसके दिमाग से फिसल गया था। विचारण न्यायालय ने उसकी गवाही पर अविश्वास करते हुए कहा कि वह अभियुक्त व्यक्ति में से एक का वास्तविक नाम नहीं बता सकती थी। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पी.डब्ल्यू.02 कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकी इस आधार पर उसके साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता यदि अन्यथा उसकी

साक्ष्य विश्वसनीय व भरोसेमंद है। साक्ष्य के अवलोकन पर, पी.डब्ल्यू.01 की गवाही की पुष्टि सभी तात्विक बिंदुओं पर पी.डब्ल्यू.02 की गवाही से होती है। इस न्यायालय के मत में गवाह से प्रतिपरीक्षा के दौरान पूछे गए प्रश्नों का तत्पराता से उत्तर देना, स्वीकार किया जा सकता है भले ही उसकी वक्तघटना आयु चैदह वर्ष की थी।

यद्यपि यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि दोषसिद्धी पी.डब्ल्यू.02 की एकमात्र गवाही के आधार पर होना चाहिए। एफ.आई.आर. में इस तथ्य का उल्लेख था कि पी.डब्ल्यू.02 भी पी.डब्ल्यू.01 के अतिरिक्त चश्मदीद गवाह थी और पी.डब्ल्यू.02, पी.डब्ल्यू.01 व मृतक के साथ घटना वाले दिन थी। अभियोजन पक्ष द्वारा पी.डब्ल्यू.02 की गवाही केवल इस हद तक उपयोग में लिया है जहां तक वह पी.डब्ल्यू.01 के साक्ष्य की पुष्टि करता है और चिकित्सीय साक्ष्य के अनुरूप है। उसके बयान को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने जो कुछ भी देखा था, उसे बयान कर दिया था और यह सभी तात्विक बिंदुओं पर पी.डब्ल्यू.01 के बयानों से पुष्टि होती है। वह लगभग 14 वर्ष की ग्रामीण परिवेश की लड़की थी और ऐसी लड़की से हमेशा सतर्क दिमाग की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह दिशा, क्षेत्र व दूरी जैसे सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर देने में सक्षम हो।

10. यह हमें मृतक के पेट में अर्द्धपचाए भोजन की उपस्थिति के

संबंध में अपीलार्थियों के वकील के मुख्य तर्क पर लाता है। इस तरह का विवाद उच्च न्यायालय के समक्ष भी उठाया गया था और उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उल्लेख किया था कि विचारण न्यायालय ने पाया था कि मृतक की हत्या दिनांक 04.10.1979 की रात के लगभग 10 बजे की गई थी क्योंकि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डाॅ. ने उल्लेख किया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अर्द्धपचा हुआ भोजन था और पी.डब्ल्यू.01 सरला देवी ने अपनी जिरह में कहा कि उसके पति ने कल शाम के बाद खाना नहीं खाया था। उक्त तर्क का उत्तर देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि विचारण न्यायालय द्वारा की गई ऐसी टिप्पणी पूरी तरह से गलत है क्योंकि दोनों चश्मदीद गवाहों ने कहा कि मृतक की हत्या गंगा नदी में पूर्णमासी के दिन स्नान के बाद गांव लौटते समय की गई थी। पी.डब्ल्यू.01 सरला देवी के इस बयान के संबंध में की मृतक ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इस संबंध में उच्च न्यायालय ने यह माना कि इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि मृतक ने स्नान करने के बाद सुबह कुछ खाया होगा और सरला देवी को शायद इस बात का ध्यान नहीं आया।

इसके अलावा, जिस डाॅक्टर ने दिनांक 06.10.1979 को शाम के साढे चार बजे शव का पोस्टमार्टम किया था उसने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि शरीर में अकड़न (रिगर मोर्टिस) शरीर के अंगों से गुजर चुका था और

नीचले अंग में मौजूद था। मेडिकल न्यायशास्त्र व विष विज्ञान, 1979 का संस्करण पृष्ठ सं. 125 मोदी द्वारा- से उल्लेखित किया गया, के पृष्ठ 125 पर इसका उल्लेख है कि सामान्य तौर पर शरीर मे अकडन(रिगर मोर्टिस) मृत्यु के बाद एक से दो घंटे में स्थापित हो जाती है, लगभग बारह घंटों में सिर से पैर तक अच्छी तरह से विकसित होता है, लगभग बारह घंटों तक बना रहता है और खत्म हो जाता है। हस्तगत मामले में जब 30 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम किया तो शरीर के नीचले अंगों में अकड़न मौजूद थी। जैसाकि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के अनुसार मृतक की हत्या 05.10.1979 को सुबह 10 बजे की गई थी और डाॅक्टर ने मृत्यु के 30 घंटे के बाद अगले दिन शाम के लगभग 4.30 बजे शव का पोस्टमार्टम किया लेकिन शरीर के नीचले अंगों में अकड़न मौजूद थी। यदि उनकी मृत्यु 04.10.1979 को लगभग 10 बजे रात में हुई थी तो शव परीक्षण के समय शव से अकड़न पूरी तरह से निकल चुकी होती। इस प्रकार यह प्रत्यक्ष साक्ष्य की उनकी हत्या 05.10.1979 को लगभग सुबह 10 बजे की गई थी, चिकित्सा साक्ष्यों से पुष्टि होती है जो यह अंकित करता है कि उस समय नीचले अंग में अकड़न मौजूद थी जब 30 घंटे के बाद शव का परीक्षण किया गया था।

11. दोनों चश्मदीद गवाहों पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है, सिर्फ इस आधार पर कि पी.डब्ल्यू.01 ने अपनी जिरह में यह

उल्लेख किया है कि उसके पति ने बीती शाम के बाद खाना नहीं खाया। जिनकी उपस्थिति मृतक की मृत्यु के स्थान पर संदेह से परे है। उक्त दोनों गवाह स्वाभाविक गवाह है जो घटना के समय मौजूद थे और इस बात की संभावना हो सकती है कि मृतक ने सुबह नहाने के बाद कुछ लिया होगा जिसे पी.डब्ल्यू.01 ने ध्यान नहीं दिया होगा। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त स्थिति जो रखी है उसे इंकार नहीं किया जा सकता है। सरबुल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य में इसी तरह के मामले में मृतक के पेट में अर्द्धपच भोजन पाया गया था हालांकि इस बात के सबूत थे कि उन्होंने घटना से पहले तुरंत भोजन ले लिया था। जिसमें न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया-

> "हमें उन तीन चश्मदीद गवाह के साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता जिनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। अब आधे बचे भोजन की बात करें तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वृद्ध महिला ने पहले कुछ नहीं खाया होगा। केवल इसलिए की अनपढ गवाहों ने कहा कि घटना से ठीक पहले भोजन किया था, यह अपने आप में अर्द्धपचे भोजन की उपस्थिति के बारे में चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर उनके साक्ष्य को अस्वीकार करने की परिस्थिति नहीं हो सकती है। मेडिकल

न्यायशास्त्र की पाठ्यपुस्तक से भी यह स्पष्ट है कि विसरा की सटीकता को मृत्यु के समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। जैसाकि उच्च न्यायालय ने सही माना कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय को मुख्य रूप से अस्पष्ट मेडिकल धारणा के आधार पर गंभीर भूल की है।"

12. मामले के इस दृष्टिकोण में हम अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्यवान वरिष्ठ वकील की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ है कि अपीलकर्ताओं को उपरोक्त बताये हुए कारणों के आधार पर दोषमुक्त कर देना चाहिए। हम यहां उपर दिये गये कानूनों के आधार पर दलीलों को अस्वीकार करते हैं। अपीलकर्ताओं के विद्यवान वरिष्ठ वकील द्वारा यह भी तर्क दिया कि पी.डब्ल्यू.01 व पी.डब्ल्यू.02 के बयान में इस हद तक विरोधाभास है कि पी.डब्ल्यू.01 ने कहा है कि घटनास्थल के पास खेत में बाजरा और ज्वारा की फसल खड़ी थी जबकि पी.डब्ल्यू.02 ने कहा कि उस समय कोई फसल नहीं थी सिवाय पटोर के खड़े होने के। उक्त विरोधाभास बिल्कुल भी सुसंगत नहीं है। दोनों गवाह प्राकृतिक चश्मदीद गवाह पाये गये जो उस दुर्घटना के दिन घटनास्थल पर मौजूद थे, वे मृतक की पत्नी और बेटी थी और वे केवल दोषियों को सजा दिलाएंगे और किसी को नहीं फसाएंगे जो घटना में बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं। रिकॉर्ड पर उपलब्ध चिकित्सा साक्ष्य पुरी तरह से प्रत्यक्ष साक्ष्य की पुष्टि करता है

और आरोपी व्यक्तियों के अपराध को साबित व स्थापित करता है। जिस तरह से घटना घटी, उसके संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले में कोई संदेह नहीं हो सकता। घटनास्थल से खून, छर्रे, टिकली और खाली कारतूस की बरामदगी से अभियोजन का मामला साबित हो गया है और इसलिए घटना के समय और स्थान के साथ साथ हमले में इस्तेमाल किये गये हथियारों के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है। इसलिए, हमें उच्च न्यायालय द्वारा लिये गये दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं मिलता है।

13. अपील निराधार है व खारिज की जाती है।

एस.के.एस. अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रजनी कुमावत, आर.जे.एस. प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, चित्तौड़गढ़ द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।